उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 3 अंक 11 1-15 नवंबर 2019 ₹ 20/-

राम जन्मभूमि फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने पर मुसलमानों में मतभेद

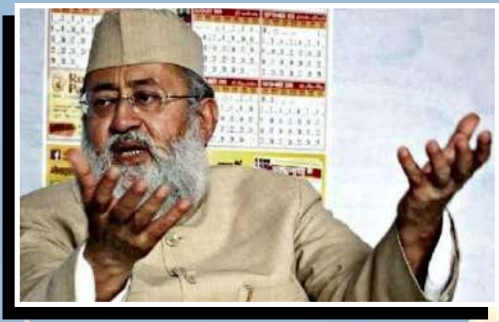

- गंगाजल पीने पर इस्लाम से खारिज करने की धमकी
- ईरान के राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह
- पाकिस्तान के प्रमुख मुहाजिर नेता की भारत में शरण लेने की इच्छा
- वक्फ की 18 हजार संपत्तियों पर अवैध कब्जा

भारत नीति प्रतिष्ठान के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

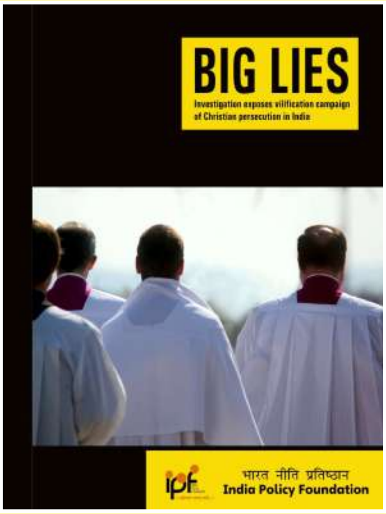

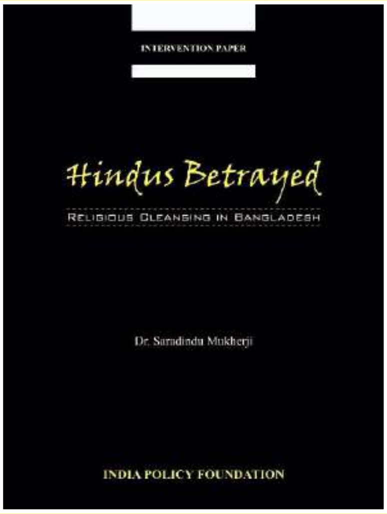

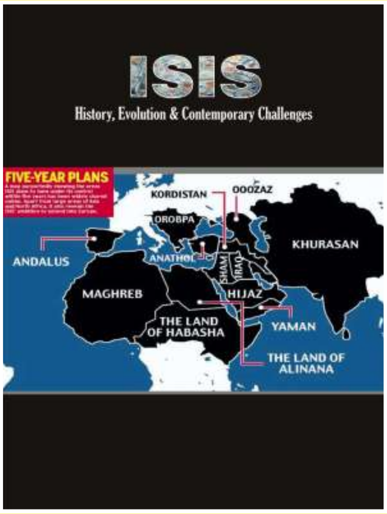

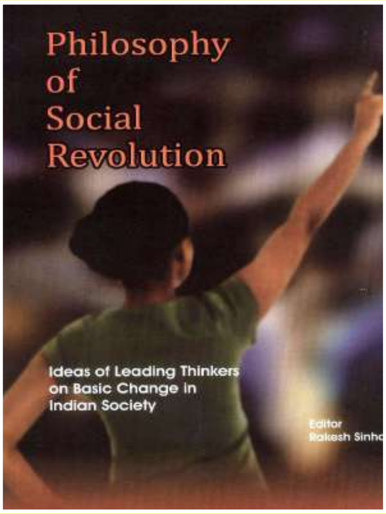

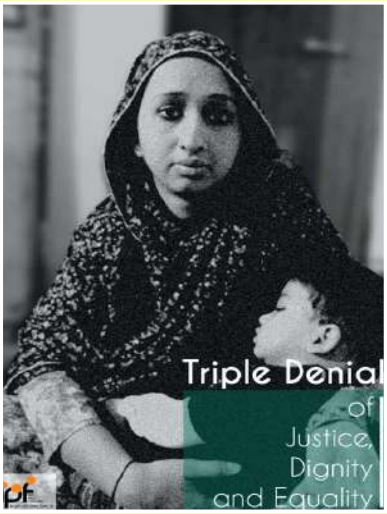

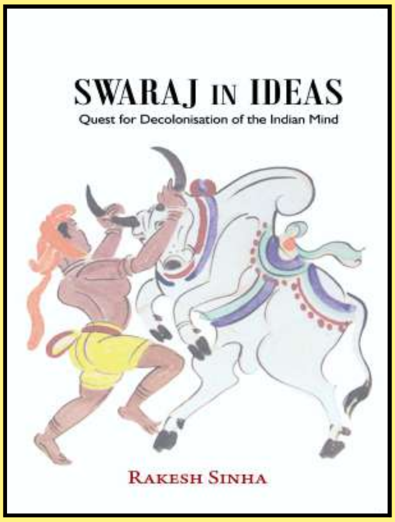

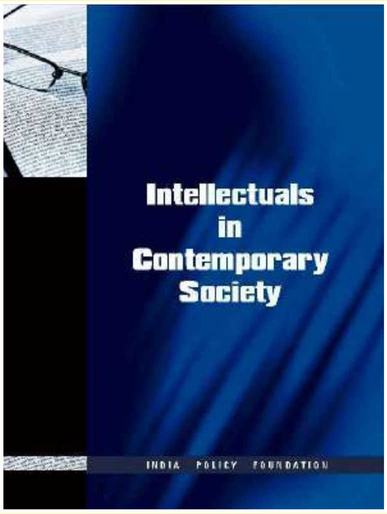

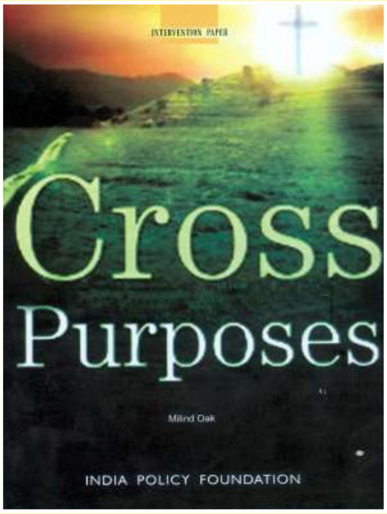

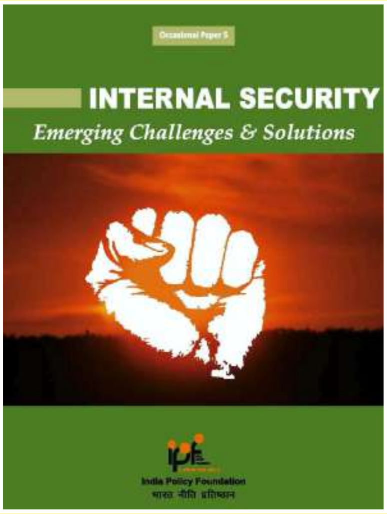

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष - 3 | अंक - 11 | 1-15 नवंबर 2019

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

प्रसार
सुधीर कुमार सिंह
(9810821308, 011-26524018)

आवरण एवं सज्जा
सूरज भारद्वाज

कार्यालय
**डी–51, प्रथम तल,
हौज खास,
नई दिल्ली–110016**
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए, डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 2

राष्ट्रीय

राम जन्मभूमि फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने पर मुसलमानों में मतभेद 3

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करने की घोषणा 7

न्यायालयी फैसले के विरोध में साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने का प्रयास 10

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में विवाद 11

गंगाजल पीने पर इस्लाम से खारिज करने की धमकी 12

विश्व

पाकिस्तान के प्रमुख मुहाजिर नेता की भारत में शरण लेने की इच्छा 13

जर्मनी में इमामों को विदेशी प्रभाव से मुक्त करने का अभियान 15

पाकिस्तान के पूर्व मंत्री मादक पदार्थो की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 16

पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों को आर्थिक सहायता की जांच 17

रोहिंग्या मुसलमानों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में याचिका दायर 17

नवाज शरीफ इलाज हेतु विदेश रवाना 18

पश्चिम एशिया

ईरान के राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह 19

कुवैत के राजपरिवार में मतभेद 19

सऊदी अरब में संगीत कार्यक्रम के आयोजकों पर हमला 20

कानूनी विवादों में गद्दाफी का बेटा 20

यमन के विद्रोहियों की बड़ी कार्रवाई 21

माली में उग्रवादियों के हमले में 24 फौजियों की हत्या 21

अन्य

मस्जिद में धमाके के आरोपी गिरफ्तार 22

वक्फ की 18 हजार संपत्तियों पर अवैध कब्जा 22

मस्जिद के लिए जमीन की तलाश 23

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जान का खतरा 23

तीन तलाक का मुकदमा 24

सारांश

संघ परिवार और केन्द्र सरकार लम्बे समय से इस बात का प्रयास कर रहे थे कि रामजन्मभूमि विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का चाहे जो भी निर्णय आए देश में साम्प्रदायिक सद्भावना और शांति बनी रहनी चाहिए। मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा ने न्यायालयी फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर करने का फैसला किया है। इस फैसले का अनेक मुस्लिम संगठनों और चोटी के मुस्लिम विद्वानों ने खुलकर विरोध किया है। उनका कहना है कि मुसलमानों के सभी संगठन प्रारम्भ से ही यह कहते आ रहे थे कि वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को हर हालत में स्वीकार करेंगे। क्योंकि देश में साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। सरकार की सतर्कता के कारण राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आने के बाद देश भर में इस फैसले का स्वागत किया गया। मुसलमानों के लगभग सभी नेताओं और संगठनों ने यह घोषणा की थी कि रामजन्मभूमि–बाबरी मस्जिद विवाद का दशकों पुराना मामला न्यायालय ने निपटा दिया है इसलिए हमें इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। देश के कुछ भागों में कुछ कट्टरपंथियों ने इस निर्णय के खिलाफ जनता को भड़काने का प्रयास भी किया मगर पुलिस ने फौरन कार्रवाई करके हैदराबाद आदि स्थानों पर अनेक शरारती तत्वों को गिरफ्तार कर लिया।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा द्वारा न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने का अधिकांश संगठनों ने विरोध किया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड और इस विवाद के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी ने तो साफ शब्दों में यह घोषणा कर दी है कि वे न्यायालय के फैसले से संतुष्ट हैं और इस मामले को तूल देकर देश के वातावरण को खराब नहीं करना चाहते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष और दारूल उलूम नदवा के प्रमुख मौलाना रब्बै हसनी नदवी के खिलाफ तो स्वयं उनके संस्थान के विभागाध्यक्ष और उनके सगे भतीजे मौलाना सलमान हसनी नदवी ने खुलकर विद्रोह कर दिया है। उनका यह विद्रोह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पसंद नहीं आया और उन्होंने रब्बै हसनी नदवी पर दबाव डालकर सलमान हसनी नदवी की दारूल उलूम देवबंद से छुट्टी करवा दी है। सलमान नदवी ने अपनी बर्खास्तगी को न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा की है और इसे संविधान और श्रमिक नियमों के खिलाफ बताया है। इस संदर्भ में यह बात भी उल्लेखनीय है कि सलमान हसनी नदवी की गिनती विश्व की चोटी के सुन्नी धार्मिक विद्वानों में होती है। इसलिए मुस्लिम जगत में उनका काफी सम्मान है। इनके अतिरिक्त दर्जनों मुस्लिम संगठनों और उनके नेताओं ने भी सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने का विरोध करते हुए कहा है कि इससे देश की साम्प्रदायिक सद्भावना को चोट लगेगी।

अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेन्द्र गिरी ने कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने का विरोध करते हुए कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर देश के सद्भावनापूर्ण वातावरण को खराब करने के लिए राम मंदिर के निर्माण में न्यायालयी अडंगे डालने का प्रयास कर रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

पाकिस्तान के प्रमुख मुहाजिर नेता अल्ताफ हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया है कि उन्हें भारत में राजनीतिक शरण दी जाए। वे इन दिनों पाकिस्तान सरकार और सेना के भय से लंदन में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार के लिए काफी समय से आंख की किरकिरी बने हुए हैं।

राम जन्मभूमि फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने पर मुसलमानों में मतभेद

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने के प्रश्न पर उपजे विवाद ने गम्भीर रूप ले लिया है। स्थिति यहां तक बिगड़ गई है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी तक को मुसलमानों से यह अपील करनी पड़ी है कि वे पुनर्विचार याचिका का विरोध न करें और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बचें। इस विवाद के एक पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा है कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद का जो फैसला आ गया है उसे हम स्वीकार करते हैं और हम उसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अब कई पक्ष पैदा हो गए हैं। कौन क्या कर रहा है, यह हमें नहीं मालूम। मगर हम पुनर्विचार याचिका दायर करने के पक्ष में नहीं हैं। जमीयत उलेमा के एक गुट के महासचिव महमूद मदनी जो कि बोर्ड की बैठक में मौजूद थे वहां से वाकआउट करके चले गए। हद तो यह है कि प्रमुख मुस्लिम विद्वानों ने भी खुलेआम पुनर्विचार की याचिका का विरोध करना शुरू कर दिया है। इस्लामिक जगत के प्रमुख शिक्षा संस्थान दारूल उलूम नदवा के डीन सलमान हसनी नदवी को तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। विश्व विख्यात इस्लामिक विद्वान सलमान नदवी को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले का विरोध करने के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी डटकर पुनर्विचार याचिका का विरोध किया है।

इंकलाब (21 नवम्बर) के "अनुसार ऑल इंडिया बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने देश भर के मुसलमानों और उनके संगठनों से अपील की है कि वे इस मामले पर भिन्न-भिन्न मत व्यक्त न करें। क्योंकि यह कौम के हित में नहीं है।"

सहाफत (18 नवम्बर) के "अनुसार यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष डॉ. एम ऐजाज अली ने कहा है कि मुसलमानों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला स्वीकार करके नई राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का लक्ष्य समाज और देश में अमन कायम रखना है। इसलिए मुसलमानों को न्यायालय

के फैसले पर अंगुली नहीं उठानी चाहिए। मस्जिद के बारे में जो सच्चाई थी उसे भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है।"

"ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स संगठन के उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद मोकीन अहमद कुरैशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में मुसलमानों से अपील की है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करें। इससे समाज में सद्भावना पैदा होगी। उन्होंने कहा कि मुसलमान प्रारम्भ से ही यह कहते रहे हैं कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करेंगे इसलिए उन्हें अपना वादा निभाना चाहिए।"

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (20 नवम्बर) ने मुख्य पृष्ठ पर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सिराजुद्दीन कुरैशी का एक बयान प्रकाशित किया है जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद के मामले पर न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि "हालांकि यह बात सही है कि प्रभावित पक्षों को कानून में इस बात का अधिकार है कि वे इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ यह भी साफ है कि बाबरी मस्जिद के बारे में मुकदमें का जो फैसला आना था वह आ चुका है। अब इसमें किसी तरह की रूकावट डालना उचित नहीं है। क्योंकि मुसलमान हमेशा से यह कहते आ रहे हैं कि न्यायालय का जो भी इस मुद्दे पर निर्णय होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की याचिका से देश के दो सम्प्रदायों में मतभेद बढ़ सकते हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वे अपने इस फैसले पर विचार करें। क्योंकि उनके लिए इस मुद्दे से ज्यादा महत्वपूर्ण विकास का मुद्दा है।"

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (20 नवम्बर) के अनुसार "सेवानिवृत्त न्यायाधीश मोहम्मद सुहैल ऐजाज सिद्दीकी ने कहा है कि आम मुसलमानों को अब बाबरी मस्जिद के विवाद में कोई रुचि नहीं रही है। उन्होंने इस फैसले को स्वीकार कर लिया है और यह समझकर संतोष कर लिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्षों पुराने झगड़े को निपटा दिया है। लेकिन चंद लोगों को यह पसंद नहीं आया। क्योंकि उन्हें यह आशा थी कि इस तरह का फैसला आने के

यह बात सही है कि प्रभावित पक्षों को कानून में इस बात का अधिकार है कि वे इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी साफ है कि बाबरी मस्जिद पर जो फैसला आना था वह आ चुका है। अब इसमें किसी तरह की रुकावट डालना उचित नहीं है।

बाद देश भर में दंगे होंगे जो नहीं हुए। इसलिए पुनर्विचार की याचिका दायर करना खेदजनक है। क्योंकि यह निर्णय पांच जजों की सहमति वाला निर्णय है इसलिए इस याचिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर मुसलमान मजाक का केन्द्र जरूर बन जाएंगे।"

इंकलाब (20 नवम्बर) के अनुसार "अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेन्द्र गिरी ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मंदिर के निर्माण में कोई अड़चन नहीं डालनी चाहिए। इससे विवाद और बढ़ेगा जो सभी के लिए हानिकारक होगा। उन्होंने यह भी मांग की कि याचिका दायर करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। महंत नरेन्द्र गिरी ने असदुद्दीन ओवैसी पर पाकिस्तान का एजेंट होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे जानबूझकर देश में अशांति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।"

विश्व की प्रमुख इस्लामिक संस्था लखनऊ स्थित दारूल उलूम नदवा में संस्थान के प्रमुख मौलाना रब्बे हसनी नदवी और उनके भतीजे मौलाना सलमान नदवी के बीच जो मतभेद चल रहे थे अब उसमें एक नया मोड़ आ गया है।

हमारा समाज (16 नवम्बर) के अनुसार "मौलाना सलमान नदवी को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। यह जानकारी दारूल उलूम नदवा के प्रमुख मौलाना रब्बै हसनी नदवी ने एक पत्र द्वारा दी है। हालांकि पत्र में यह दावा किया गया है कि क्योंकि सलमान नदवी की आयु 65 वर्ष हो चुकी है इसलिए उन्हें सेवानिवृत्त किया जा रहा है। बताया जाता है कि उनकी दरूल उलूम नदवा से छुट्टी किए जाने का कारण राम जन्मभूमि विवाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके अध्यक्ष रब्बै हसनी नदवी से उनका मतभेद है। प्रारम्भ से ही सलमान नदवी इस बात के समर्थक रहे हैं कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को आपसी बातचीत से सद्भावनापूर्वक सुलझा लिया जाए। जबकि उनके ताऊ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अतिवादी संगठन इसके विरोध में रहे हैं।"

"समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि मौलाना सैयद सलमान हसनी नदवी ने अपने ताऊ के पत्र का बहुत कड़े शब्दों में जवाब दिया है। कहा जाता है कि उनका यह पत्र दो पृष्ठों का है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि आपके राय से मैं सहमत नहीं हूं इसलिए मुझे मेरे पद से हटाया जा रहा है। हालांकि इसी संस्थान में अनेक ऐसे अध्यापक हैं जो मुझसे भी दस पन्द्रह वर्ष बड़े हैं और उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि नदवा में भ्रष्टाचार है और छात्रों को सही ढंग से शिक्षा भी नहीं दी जा रही है। यहां तक कि उनका कोर्स भी पूरा नहीं किया जाता। उन्होंने कहा है कि मुझे नदवा कार्यसमिति के सामने अपना दृष्टिकोण पेश करने का अवसर दिया जाए। अगर मेरे विरूद्ध कोई भी कार्रवाई की जाती है तो वह भारतीय संविधान, बुनियादी अधिकारों और श्रमिक कानूनों के खिलाफ होगी। मुझे पद से हटाने का जो फैसला किया गया है वह झूठे आरोपों और साम्प्रदायिकता पर आधारित है इसलिए मैं उसे न्यायालय में चुनौती दूंगा। सलमान ने अपने ताऊ पर यह भी आरोप लगाया है कि आप जानबूझकर देवबंदियों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं।"

नदवा में जो मतभेद पैदा हुए हैं उसके कारण दारूल उलूम देवबंद की तरह वहां भी छात्र दो गुटों में बंट गए हैं। **हमारा समाज** (18 नवम्बर) ने एक समाचार प्रकाशित किया है जिसमें यह कहा गया है कि "दारूल उलूम नदवा में जो अशांति का वातावरण था इसके कारण जिला प्रशासन को यह निर्देश देना पड़ा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अधिवेशन दारूल उलूम नदवा में आयोजित न करके किसी और जगह पर किया जाए। प्रशासन के दबाव के कारण बोर्ड का अधिवेशन डालीगंज स्थित मुमताज डिग्री कॉलेज में करना पड़ा है।"

इंकलाब (16 नवम्बर) के अनुसार "दारूल उलूम नदवा के प्रमुख मौलाना रब्बै हसनी नदवी और उनके भतीजे मौलाना सलमान हसनी नदवी के बीच मतभेद इतने बढ़ चुके हैं कि दोनों एक दूसरे से मिलने व बातचीत करने तक तैयार नहीं हैं। मौलाना सलमान ने इंकलाब के संवाददाता को बताया कि संस्थान के प्रमुख मौलाना सैयद रब्बै हसनी नदवी के हाथ का लिखा हुआ एक पत्र उन्हें मिला था जिसमें उन्होंने कहा था कि क्योंकि मेरे विचारों से संस्थान के प्रबंधक सहमत नहीं हैं इसलिए उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। बहाना यह बनाया गया है कि मेरी आयु 65 वर्ष हो चुकी है इसलिए मुझे सेवानिवृत्त किया जा रहा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर मैंने त्यागपत्र नहीं दिया तो मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दारूल उलूम नदवा का एक गुट ऐसा है जो उनके खिलाफ साजिश करके काफी देर से उन्हें संस्थान से निकालने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ सरासर झूठा प्रचार किया जा रहा है। समाचारपत्र का कहना है कि संस्थान के छात्र दो गुटों में बंट गए हैं। इस कारण संस्था में भारी तनाव है।"

टिप्पणी: सैयद सलमान हसनी नदवी विख्यात इस्लामिक विद्वान हैं और वे लखनऊ स्थित दारूल उलूम नदवा के डीन हैं। इसके अतिरिक्त वे कई अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी व अनेक पत्रिकाओं के संपादक भी रह चुके हैं। नदवी का जन्म 1954 में लखनऊ में हुआ था। उनकी वंशावली पैगम्बर इस्लाम और उनके दामाद हजरत अली से मिलती है। उनकी मां दारूल उलूम नदवा के प्रमुख अबुल हसन अली हसनी नदवी की भतीजी थी। उन्होंने अपनी उच्च

शिक्षा हदीस में सऊदी अरब की विश्वविख्यात विश्वविद्यालय इब्न सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी से की। जुलाई 2014 में उन्होंने सऊदी सरकार को एक पत्र लिखकर यह प्रस्ताव दिया कि इराक के शिया अतिवादियों का सामना करने के लिए उन्हें भारत से 50 हजार सुन्नी मुसलमानों की मिलिशिया बनाने की अनुमति दी जाए। गत वर्ष राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को सद्भावनापूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए उन्होंने श्रीश्री रविशंकर से मुलाकात की थी और अयोध्या की विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण का खुलकर समर्थन किया था। इसका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया था। इस बैठक के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सलमान हसनी के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए थे।

गत वर्ष राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को सद्भावनापूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए सलमान नदवी ने श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की थी और अयोध्या की विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण का खुलकर समर्थन किया था। इसका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया था। इस बैठक के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और नदवी के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए थे।

देश के अधिकांश लोगों को दारूल उलूम नदवा के बारे में जानकारी नहीं है इसलिए इस पर कुछ प्रकाश डालना जरूरी है। 1893 में कानपुर में मुस्लिम विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ था। कहा जाता है कि इस सम्मेलन में अधिकांश ऐसे विद्वान शामिल थे जो कि सर सैयद अहमद के अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसलिए दारूल उलूम देवबंद के आंदोलन से सम्बन्धित मुस्लिम उलेमा उनके खिलाफ थे। मूल अंतर यह था कि देवबंदी गुट का इस बात पर जोर था कि फिरंगियों का पूर्ण बहिष्कार किया जाए और उनसे किसी तरह की सहायता न ली जाए। जबकि सर सैयद अहमद इस बात के पक्ष में थे कि मुसलमानों का उत्थान अंग्रेजों की सहायता से ही किया जाए। यही कारण है कि प्रारम्भ में देवबंदी मुसलमानों ने दारूल उलूम नदवा के अभियान का डटकर विरोध किया। नदवा के समर्थकों का कहना था कि सभी विचारधारा के मुसलमानों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए एक उच्चस्तरीय शिक्षा संस्थान स्थापित की जाए। 1894 में कानपुर स्थित मदरसा फ़ैज-ए-आम का ही विस्तार करके उसे दारूल उलूम नदवा का रूप दिया गया था। इस अभियान में आजमगढ़ के रहने वाले मौलाना शिबली नोमानी की भूमिका भी काफी निर्णायक थी। 1922 में दारूल उलूम नदवा को लखनऊ स्थानांतरण किया गया। इस संस्थान के विकास में मौलाना अबुल हसनी नदवी उर्फ अली मियां का हाथ था। अली मियां का जन्म 1914 में राय बरेली में हुआ था। 1934 में उन्हें दारूल उलूम नदवा में अध्यापक नियुक्त किया गया। 1961 में वे नदवा के प्रमुख बनाए गए। सऊदी अरब की ओर से उन्हें 1981 में 'किंग फैजल अवार्ड' देकर सम्मानित किया गया। दारूल उलूम नदवा 1994 में तब विवादों में आया जब दिल्ली पुलिस की गुप्त शाखा और गुप्तचर ब्यूरो की संयुक्त टीम ने विदेशी जासूसों की तलाश के सिलसिले में इसके होस्टल पर छापा मारा। बताया जाता है कि इन विदेशी एजेंसियों से जुड़े हुए छात्रों को इस छापे की सूचना क्योंकि पहले ही प्राप्त हो गई थी इसलिए वे मौके से फरार हो गए। फिर भी पुलिस ने कुछ विदेशी छात्रों को हिरासत में लिया। इस पर देश भर के मुसलमानों ने जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन किया जिसके कारण तात्कालीन प्रधाानमंत्री नरसिम्हा राव को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी और इस छापे के दोषी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। ■

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करने की घोषणा

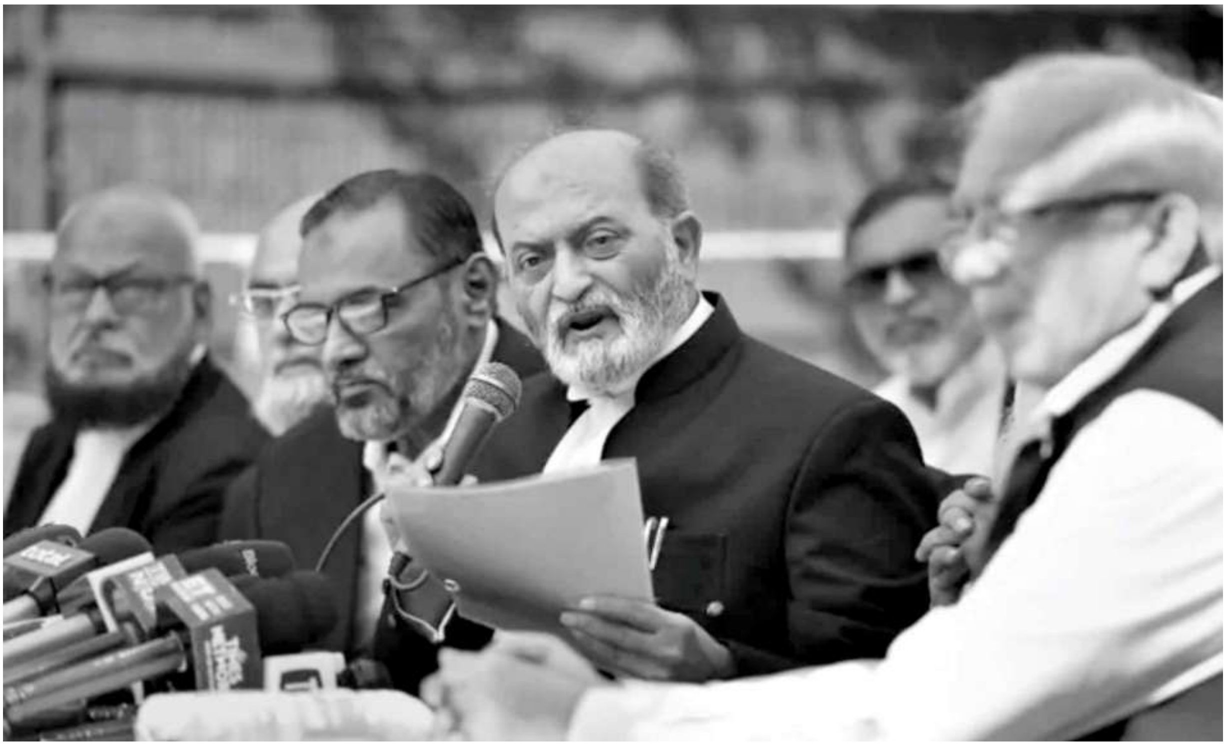

इंकलाब (18 नवम्बर) के अनुसार "ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी बैठक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पांच एकड़ भूमि को लेने से भी इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि मस्जिद हमेशा मस्जिद रहती है और उसके बदले में दूसरी भूमि लेना शरीयत के खिलाफ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक आमतौर पर दारूल उलूम नदवा में होती है लेकिन जिला प्रशासन के दबाव के कारण एक अन्य जगह मुमताज डिग्री कॉलेज में हुई। बैठक में जिला प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मौलाना सैयद रब्बै हसनी नदवी ने की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए सैयद कासिम रसूल इल्यास और बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने घोषणा की कि सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर किया जाएगा। बोर्ड के 45 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विरोध किया। इसके बाद दस बिंदु भी तय किए गए।"

"पत्रकार सम्मेलन में कहा गया कि शरीयत के अनुसार एक बार जहां मस्जिद बन जाए वहां की भूमि प्रलय तक मस्जिद ही रहती है और उसकी जगह पर और कोई भूमि नहीं ली जा सकती। बोर्ड के एक अन्य सदस्य मौलाना उमरैन रहमानी ने भी वैकल्पिक भूमि का विरोध किया। जब उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया कि कई मुस्लिम देशों में मस्जिद की वैकल्पिक भूमि ली गई है। तब उन्होंने कहा कि किसी इस्लामी देश में क्या होता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो शरीयत के पाबंद हैं और शरीयत के अनुसार ही फैसला करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि बाबरी

मस्जिद का निर्माण बाबर के कमांडर मीर बाकी ने 1528 में किया था। मुसलमानों की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रमाणों से साफ है कि 1857 से लेकर 1949 तक बाबरी मस्जिद की तीन गुंबदों वाली इमारत और उसका आंगन मुसलमानों के कब्जे में रहा। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है। बाबरी मस्जिद में अंतिम नमाज 16 दिसम्बर 1949 में किया गया था जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है। 21-22 दिसम्बर की रात को बाबरी मस्जिद के गुंबद के नीचे मूर्ति रखी गई। मूर्ति रखना सर्वोच्च न्यायालय की नजर में कानून का उल्लंघन था और इससे यह सिद्ध नहीं होता कि भगवान राम यहीं पैदा हुए थे। फैसले में यह भी कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह भी नजरअंदाज कर दिया कि वक्फ की धारा 104ए और 51ए के तहत मस्जिद की भूमि को बदला या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने वैकल्पिक भूमि दिए जाने का जो निर्देश दिया है वह कानूनी दृष्टि से गलत है। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी यह घोषणा की है कि कानून के विशेषज्ञों की राय को सामने रखकर सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हम अंतिम दम तक मस्जिद की वापसी के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होनें कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से मुसलमानों के माथे पर लगा यह दाग मिट गया है कि बाबरी

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक अन्य सदस्य मौलाना उमरैन रहमानी ने भी वैकल्पिक भूमि का विरोध किया। जब उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया कि कई मुस्लिम देशों में मस्जिद की वैकल्पिक भूमि ली गई है। तब उन्होंने कहा कि किसी इस्लामी देश में क्या होता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो शरीयत के पाबंद हैं और शरीयत के अनुसार ही फैसला करेंगे।

बाबरी को गिराया जाना हिन्दुस्तान का सबसे काला दिन था। इसके बावजूद वह भूमि रामलला को दे दी गई। इसकी भरपाई के लिए पांच एकड़ भूमि मस्जिद के लिए देने का निर्देश सरकार को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया है कि यह मस्जिद किसी मंदिर को गिराकर नहीं बनाई गई थी। उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने यह भी स्वीकार किया था कि मस्जिद में रखी गई मूर्तियों को प्रतिमा नहीं माना जा सकता।"

"बोर्ड का कहना है कि न्यायालय का यह फैसला परस्पर विरोधी है और आम नागरिक की समझ से परे है। मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर किया गया था।"

हमारा समाज (18 नवम्बर) के अनुसार "पॉपुलर फ्रंट की कार्यकारिणी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने और पांच एकड़ भूमि नहीं लिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। पॉपुलर फ्रंट ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला इंसाफ का खुला मजाक है और यह मुसलमानों के साथ भेदभाव का सबूत है। कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने देश की जनता से अपील की है कि वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए राजनीति

से प्रेरित इस फैसले का डटकर विरोध करें।"

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (18 नवम्बर) के अनुसार "कुछ मुस्लिम संगठनों ने पुनर्विचार याचिका दायर करने का जो फैसला किया है उस पर टिप्पणी करते हुए भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुसलमानों को न्यायालय के फैसले को मानना चाहिए, क्योंकि इससे सदभावना का वातावरण बनेगा और देश मजबूत होगा। जबकि विश्व हिन्दू परिषद के सदस्य मिलिंद परांडे ने कहा कि मुसलमानों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मान लेना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी सोमनाथ के मामले में इसी तरह की अपील की थी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि सोमनाथ के पुनर्निर्माण के फैसले को मुसलमानों को स्वीकार कर लेना चाहिए वरना इससे गलत संदेश जाएगा। गांधी ने यह विचार अपनी पत्रिका 'हरिजन' में व्यक्त किया था।"

अखबार-ए-मशरिक (19 नवम्बर) के अनुसार "मिल्ली काउंसिल ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि मुसलमानों को पांच एकड़ भूमि लेने से साफ इनकार कर देना चाहिए। पॉपुलर फ्रंट ने भी इस फैसले का स्वागत किया है।"

हमारा समाज (19 नवम्बर) ने अपने सम्पादकीय में पुनर्विचार याचिका दायर करने का समर्थन करते हुए कहा है कि "यह याचिका दायर करना हमारा कानूनी हक है। हालांकि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है मगर क्या इससे हम मस्जिद की मिल्कियत के मुद्दे पर अपना दावा छोड़ दें? यह कहां का तर्क है कि कोई आपसे यह कहे कि आपके साथ जो हुआ है वह गलत था, मगर जिस चीज के कारण यह हुआ है आप उसका दावा छोड़ दें। साथ ही समाचारपत्र ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस मुद्दे पर आपसी सद्भाव और शांति व्यवस्था बनाए रखा जाए।"

अखबार-ए-मशरिक (19 नवम्बर) ने अपने सम्पादकीय में पुनर्विचार याचिका दायर करने का समर्थन किया है। सम्पादकीय में कहा गया है कि "अरशद मदनी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद पर जो निर्णय आया है वह अंतिम नहीं है। शरीयत के अनुसार एक जगह एक बार अगर मस्जिद कहीं बन जाती है तो सदा के लिए मस्जिद रहती है। इसलिए आखिरी दम तक इस फैसले के खिलाफ संघर्ष जारी रखा जाएगा। समाचारपत्र ने कहा है कि पुनर्विचार याचिका दायर करने का यह फैसला सही है। मगर क्योंकि इस याचिका का भी फैसला पुराना बेंच ही करेगा इसलिए इसका कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि इससे पूर्व कई मामलों में याचियों को सर्वोच्च न्यायालय ने राहत प्रदान की है।"

इंकलाब (19 नवम्बर) ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि "सरकार और विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक संगठनों की ओर से इस बात पर निरंतर जोर दिया जा रहा था कि जो भी फैसला आए उस पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त न की जाए जिससे शांति व्यवस्था भंग हो। हालांकि ये प्रयास पूर्णत: सफल रहे। मगर 9 दिन गुजरने के बाद अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा जैसे संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने की घोषणा की है तो सारे देश में बवाल मच गया है। सवाल यह है कि जिस चीज की संविधान और कानून में व्यवस्था है अगर उसका कोई लाभ उठाता है तो उसे आलोचना का केन्द्र क्यों बनाया जाए? अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड या इकबाल अंसारी पुनर्विचार की याचिका दायर नहीं करना चाहते तो वे न करें। मगर जो दायर करना चाहते हैं उनके खिलाफ न्यूज चैनल क्यों पीछे पड़ रहे हैं? कुछ लोगों का कहना है कि यह याचिका राम मंदिर निर्माण में बाधाएं उत्पन्न करने के लिए दायर की जा रही हैं। सवाल यह है कि पुनर्विचार की याचिका दयार करने से मुसलमानों का क्या नुकसान होगा? या पांच एकड़ भूमि न लेने से कौन सी राष्ट्रीय क्षति हो जाएगी। दरअसल मुसलमानों में मतभेद तो उनका भाग्य ही बन चुका है। हर मौलवी, मौलाना, नेता अलग अलग भाषा बोलता है और यह मुसलमानों की संस्कृति का अटूट हिस्सा बन गया है। इतना ही नहीं जो कोई विरोध करता है उसे आरएसएस का एजेंट, सरकार का आदमी और इस्लाम दुश्मन ताकत बता दिया जाता है। इन मतभेदों का लाभ वही लोग उठाते हैं जो कि कौम को बेचने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया में मुसलमानों में मतभेद जमकर उजागर हो रहे हैं। अगर पुनर्विचार याचिका रद्द भी हो जाती है तो उससे मुसलमानों को क्या क्षति होगी? जबकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है।"

न्यायालयी फैसले के विरोध में साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने का प्रयास

सियासत (13 नवम्बर) के अनुसार "राम जन्मभूमि के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करने वाले पांच व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों का संबंध जिहाद और शहादत दरगाह से बताया जाता है। बताया जाता है कि ये लोग हैदराबाद के मोघलपुरा में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करने वाले थे। जब यह सूचना पुलिस को मिली तो उसने इस संगठन के अध्यक्ष अब्दुल माजिद के साथ-साथ मोहम्मद बिन उलर और वसीम को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करने के लिए दफ्तर की ओर जा रहे थे। इससे पूर्व भी इस संगठन से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि वे यह घोषणा करने वाले थे कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद वे पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे।"

सियासत (16 नवम्बर) के अनुसार "हैदराबाद पुलिस ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विरोध स्वरूप नमाज का आयोजन करने वाली सईदाबाद की महिलाओं के खिलाफ देशद्रोह और साम्प्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। बताया जाता है कि कुछ महिलाओं ने उजालेशा ईदगाह मैदान में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था और सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ नारे लगाए थे। जिन महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें दो महिलाएं जिल्ले हुमा और साबिस्ता भी शामिल हैं। उनपर ऐसे भाषण देने का आरोप है जिससे साम्प्रदायिक सद्भावना को क्षति पहुंच सकती है। सईदाबाद थाने के इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने कहा कि पुलिस ने वह वीडियो अपने कब्जे में ले लिया है जो इन महिलाओं के भाषणों पर आधारित है।"

सियासत (15 नवम्बर) के अनुसार "हैदराबाद पुलिस ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ पत्रकार सम्मेलन का आयोजन करने वाले आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि जब हैदराबाद के मुसलमानों के एक वर्ग ने इस फैसले के खिलाफ नमाज का आयोजन करने का फैसला किया था तो पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था की थी और महिलाओं को रोकने का प्रयास किया गया था। ईदगाह जाने वाले सभी रास्तों को बंद करके वहां पर कांटेदार तारें लगा दी गई थीं। पुलिस ने इससे पूर्व मौलाना अब्दुल अलीम इस्लाही और मौलाना नजीरूद्दीन को उनके घरों में बंद कर दिया था। लेकिन महिलाएं विरोध प्रकट करने के लिए नमाज का आयोजन करने पर अड़ी रहीं। उन्होंने पुलिस के इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि वे नमाज अपने घर के बाहर पढ़ लें। बाद में 70 महिलाओं को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई। इन महिलाओं ने बाबरी मस्जिद की बहाली के हक में दुआएं मांगीं। जिल्ले हुमा ने संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह फैसला मुसलमानों के खिलाफ है। बाबरी मस्जिद मुसलमानों की थी और कयामत तक रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय की हम निंदा करते हैं और उसे ठुकराते हैं। क्योंकि यह फैसला सबूतों, तर्कों और तथ्यों पर आधारित नहीं है। इस फैसले से भारत दुनिया भर में मजाक बन गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मुस्लिम संगठनों की नपुंसकता के कारण पर्दानशीं औरतों को घरों से बाहर निकलकर विरोध प्रकट करना पड़ा है।"

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में विवाद

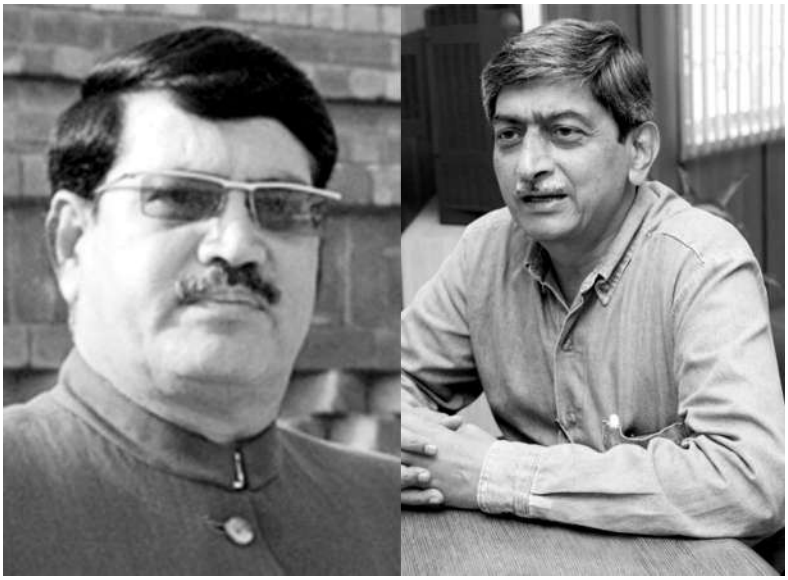

इत्तेमाद (4 नवम्बर) के अनुसार "हैदराबाद स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति और कुलपति के बीच जो विवाद कई महीनों से चल रहा था उसने अब एक नया मोड़ ले लिया है। विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ. मोहम्मद असलम परवेज ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। यह त्यागपत्र उन्होंने विश्वविद्यालय के विजिटर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा है। विश्वविद्यालय के कुलपति फिरोज बख्त अहमद ने बताया कि उपकुलपति के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाए गए थे जिनकी जांच के लिए मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उपकुलपति ने विश्वविद्यालय में नियुक्ति में हो रहे घोटालों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी और उन पर पद और फंड के गलत इस्तेमाल के आरोप भी लगाए गए थे।"

"फिरोज बख्त अहमद के इस आरोप का खंडन डॉ. मोहम्मद असलम परवेज ने किया है। एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में जो नियुक्तियां हुई हैं वह पूर्ण रूप से पारदर्शी हैं और ऐसे लोगों को ही नियुक्त किया गया है जो उर्दू में निपुण हैं। उन्होंने कहा कि अन्य विश्वविद्यालयों की तरह ही मौलाना आजाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी के पास भी अनुदान की कमी थी। इसके बावजूद विश्वविद्यालय में एक दर्जन विभिन्न निर्माण परियोजनाएं शुरू की गई।"

अखबार-ए-मशरिक (5 नवम्बर) के अनुसार "डॉ. मोहम्मद असलम परवेज ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति फिरोज बख्त अहमद पर गम्भीर आरोप लगाते हुए यह मांग की है कि कुलपति को फौरन उनके पद से हटाया जाए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से त्यागपत्र दिया है। वे अपने पुराने पद पर वापस लौटना चहते हैं मगर फिरोज बख्त अहमद ने मानव संसाधन मंत्रालय के नाम की आड़ लेकर उन पर सरासर झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि फिरोज बख्त अहमद प्रारम्भ से ही संस्थान को बदनाम करने का अभियान चला रहे हैं और उन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए उन पर और संस्थान पर अनेक झूठे आरोप लगाए हैं। इसके लिए उन्होंने अनेक बार प्रेस नोट भी जारी किया, पत्रकार सम्मेलनों का आयोजन किया और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया।"

"उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के संबंध में संसद में एक ऑडिट रिपोर्ट पेश की जा चुकी है जिसमें उनके खिलाफ किसी भी तरह की वित्तीय और अन्य किसी अनियमितता का उल्लेख नहीं है। मानव संसाधन मंत्रालय ने तथ्यों का पता लगाने के लिए जो रिपोर्ट 17 अक्टूबर को पेश की है उसमें मेरे खिलाफ कोई सिफारिश नहीं की गई है। उपकुलपति ने कहा कि बार-बार पत्र लिखने के बावजूद सरकार ने विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होनें राष्ट्रपति से मांग की है कि कुलपति फिरोज बख्त अहमद को उनके पद से हटाया जाए।"

गंगाजल पीने पर इस्लाम से खारिज करने की धमकी

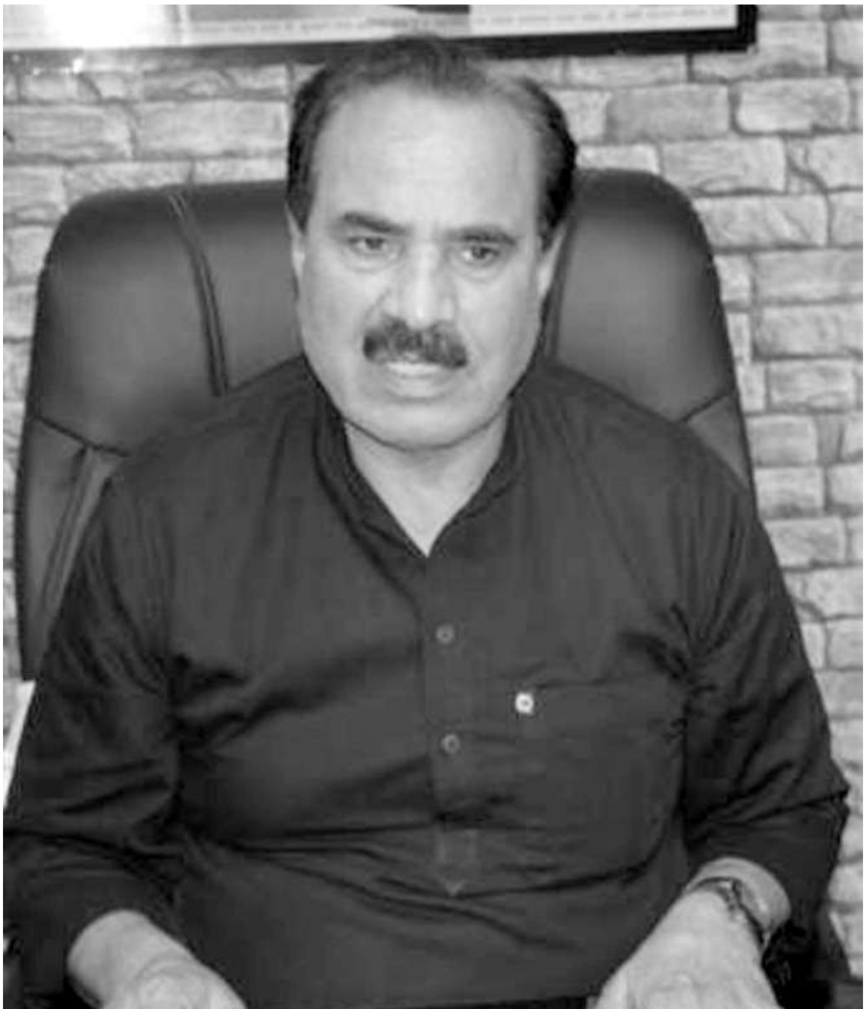

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (19 नवम्बर) के अनुसार "अलीगढ़ के महापौर मोहम्मद फुरकान द्वारा गंगाजल पीने का मुसलमानों ने जबर्दस्त विरोध किया है और मुस्लिम विश्वविद्यालय के सुन्नी विचारधारा विभाग के मुफ्ती जाहिद ने कहा है कि महापौर की यह हरकत इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ज्ञातव्य है कि पिछले दिनों स्मार्ट सिटी योजना की पूजा में महापौर ने भाग लिया था और अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम की ओर से पूजा में भाग लेने वाले सभी लोगों को गंगाजल पिलाया गया जिनमें महापौर मोहम्मद फुरकान भी शामिल थे। मुफ्ती जाहिद का कहना है कि महापौर को पूजा में नहीं जाना चाहिए था और न ही गंगाजल पीना चाहिए था क्योंकि यह इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। एक अन्य मुफ्ती अबुल फजल ने भी मेयर द्वारा गंगाजल के पान का विरोध किया है और कहा है कि महापौर उस वक्त तक इस्लाम से खारिज माने जाएंगे जब तक कि वे तौबा नहीं कर लेते।"

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (20 नवम्बर) के अनुसार "पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान ने कहा है कि महापौर भाजपा के इशारे पर नाच रहे हैं इसलिए उन्हें भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गंगा जल पीकर और पूजा में भाग लेकर उन्होंने जो गैर-इस्लामिक हरकत की है उससे अलीगढ़ के नागरिक स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की पूर्व महानगर अध्यक्ष रूबीना खानम ने उनसे माफी मांगने का आग्रह किया है और कहा है कि महापौर ने जो टीका लगाया है वह भी इस्लाम के खिलाफ है। महापौर फुरकान ने कहा है कि जो लोग आपत्ति कर रहे हैं उन्हें करने दें। अल्लाह मेरे दिल को जानता है।"

पाकिस्तान के प्रमुख मुहाजिर नेता की भारत में शरण लेने की इच्छा

अखबार-ए-मशरिक (18 नवम्बर) के अनुसार पाकिस्तान के मुहाजिर नेता अल्ताफ हुसैन ने भारत में राजनीतिक शरण लेने की इच्छा व्यक्त की है। अल्ताफ हुसैन इन दिनों पाकिस्तान से भागकर इंगलैंड में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया है कि वे न केवल उन्हें शरण दें बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करें। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ लंदन की एक न्यायालय में आतंकवाद के आरोप में मुकदमा चल रहा है और उन पर अपने एक साथी की हत्या करने का भी आरोप है। अल्ताफ हुसैन भारत से देश के विभाजन के बाद गए मुहाजिरिन के संगठन मुतहिदा कौमी मुवमेंट के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि वे भारत जाना चाहते हैं ताकि वे आगरा में अपने दादा की कब्र पर फातिहा पढ़ सकें। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुझे भारत में शरण देते हैं तो मैं भारत में ही रहूंगा। भारत में मेरे सैकड़ों रिश्तेदार दफन हैं। ज्ञातव्य है कि लंदन पुलिस ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया है और उन्हें हाल ही में जमानत पर छोड़ा गया है। जमानत पर छूटने के बाद उन्होंने पहली बार भारत से शरण मांगी है और उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तान सरकार कराची स्थित उनकी सारी संपत्ति जब्त कर चुकी है।"

सहाफत (19 नवम्बर) ने अपने सम्पादकीय में अल्ताफ हुसैन को भारत में शरण देने का विरोध किया है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि "पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन की गतिविधियों का सम्बन्ध लोगों की सामुहिक हत्याओं से रहा है। उन्होंने कई लोगों को लापता कर दिया था। कराची में उन्होंने अपने कैदखाने बनाए हुए थे। जहां पर वे अपने विरोधियों को अपहरण करके रखते थे और बाद में उनकी हत्या कर दी जाती थी। पाकिस्तानी कानून से बचने के लिए वे भागकर ब्रिटेन चले गए थे और अब पाकिस्तान सरकार उन्हें वापस पाकिस्तान लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है।"

समाचारपत्र का यह भी कहना है कि "अल्ताफ हुसैन देश के विभाजन के बाद जब भारत से पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने भारत से पाकिस्तान गए मुहाजिरों (शरणार्थियों) को इक्ट्ठा किया था। हालांकि उनका यह प्रयास फर्जी सिद्ध हुआ। उन्होंने अपनी पार्टी मुहाजिर कौमी तहरीक का नाम बदलकर मुतहिदा कौमी तहरीक कर दिया था ताकि उन पर यह आरोप न लग सके कि वे मुहाजिरों के ही नेता हैं। बाद में वे भाग कर ब्रिटेन चले गए थे और वहां से ही टेलीफोन पर अपने समर्थकों को पाकिस्तान में सम्बोधित करते रहे हैं। अब क्योंकि ब्रिटेन द्वारा उन्हें पाकिस्तान भेजे जाने की सम्भावना है इसलिए उन्होंने भारत में अपना राजनीतिक शरण प्राप्त करने के लिए यह नया पैतरा बदला है। 1992 से वे लंदन में रह रहे

हैं। अल्ताफ हुसैन का कहना है कि उनकी संपत्ति पर पाकिस्तान सरकार ने कब्जा कर लिया है। अगर भारत उन्हें राजनीतिक शरण नहीं देता है तो कम-से-कम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा लड़ने के लिए आर्थिक सहायता जरूर प्रदान करे। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि इस विवादित स्थान पर मुसलमानों का कोई हक नहीं है। मोदी की वर्तमान सरकार को हिन्दू राज स्थापित करने का पूरा हक है। उन्होंने यह भी कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग अगर भारत को पसंद नहीं करते तो वे अपने मुस्लिम वतन पाकिस्तान चले जाएं।"

टिप्पणी: भारत से पाकिस्तान गए शरणार्थियों का एक संगठन आगरा के मूल निवासी अल्ताफ हुसैन ने 1984 में स्थापित किया था। प्रारम्भ में इस संगठन को भारी लोकप्रियता प्राप्त हुई क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले शरणार्थी यह महसूस करते थे कि पाकिस्तान के मूल निवासी उनकी उपेक्षा करते हैं और उन्हें सभी क्षेत्रों में हाशिए पर पहुंचा दिया गया है। 1986 में कराची में एक बड़ी विशाल रैली हुई थी। सिंध में स्थानीय निकाय के चुनाव में कई सीटों पर इस पार्टी को भारी सफलता मिली थी। सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने उनके साथ मिलकर सरकार भी बनाई थी। कहा जाता है कि पीपुल्स पार्टी के साथ मुत्तहिदा कौमी मुवमेंट (एमक्यूएम) का जो समझौता हुआ था उसे लागू न किए जाने के कारण एक महीने के बाद ही अल्ताफ हुसैन की पार्टी ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद उन्होंने पीपुल्स पार्टी के विपक्षियों से गठजोड़ किया। एमक्यूएम के राजनीतिक मैदान में आने से पूर्व अल्ताफ हुसैन ने शरणार्थियों का एक संगठन बनाया था जिसे 'खिदमत-ए-खालिक फाउंडेशन' का नाम दिया गया था। 1990 के चुनाव में एमक्यूएम पाकिस्तान में तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध और केन्द्र में सरकार बनाई थी। कहा जाता है कि बाद में एमक्यूएम में विभाजन हो गया। इस विभाजन के पीछे पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसियों का हाथ था। एक समानांतर संगठन एमक्यूएम हकीकी बनाया गया और इसके नेताओं में अशफाक अहमद और अमीर खाँ शामिल थे। कहा जाता है कि इस विभाजन के पीछे पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली गुप्तचर संस्था आईएसआई का हाथ था जो कि मुहाजिर कौमी मुवमेंट को कमजोर करना चाहती थी।

1992 से 1994 तक एमक्यूएम पाकिस्तानी सेना के निशाने पर रही। सेना ने कराची और सिंध के अन्य नगरों में एमक्यूएम के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन क्लीन चलाया जिसमें भारत से गए अनेक उर्दूभाषी मारे गए। 1992 में नवाज शरीफ की सरकार ने एमक्यूएम के खिलाफ जबर्दस्त अभियान चलाया। सरकार का आरोप था कि एमक्यूएम पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। इस अभियान के कारण अपनी जान बचाने के लिए अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान से भागना पड़ा। क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने एक हत्या के मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। 1993 के चुनाव का एमक्यूएम ने बहिष्कार किया और कहा कि सेना उन्हें चुनाव में भाग लेने से रोक रही है। मजेदार बात यह है कि आईएसआई ने जो समानांतर संगठन एमक्यूएम हकीकी बनाया था वह चुनावों में कोई सीट प्राप्त नहीं कर सका। इससे पहले जरनल अयूब खान के शासनकाल में पाकिस्तान सरकार ने सिंध में आबादी के संतुलन को बदलने के लिए वहां पर भारी संख्या में पठानों को आबाद किया। उर्दूभाषी और पठानों के बीच व्यापक रूप से दंगे हुए जिसमें कम-से-कम 2000 से अधिक लोग मारे गए। पाकिस्तानी शासकों ने अल्ताफ हुसैन और उनके साथियों पर यह आरोप लगाया कि वे पाकिस्तान को विखंडित करना चाहते हैं। 2001 के चुनाव में एमक्यूएम ने फेडरल चुनाव का बहिष्कार किया लेकिन स्थानीय निकाय के चुनाव में भाग लिया। इसके बावजूद उसे 2002 के चुनाव में पाकिस्तान राष्ट्रीय असेंबली की 272 सीटों में से 17 पर विजय प्राप्त हुई। 2008 के चुनाव में पाकिस्तान राष्ट्रीय असेम्बली में यह पार्टी 25 सीटें जीती। 2013 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ एमक्यूएम ने पांच करोड़ रुपए मानहानि का दावा दायर किया। 2014 में लंदन पुलिस ने लंदन स्थित अल्ताफ हुसैन के घर पर छापा मारा और अब उनके खिलाफ कई मुकदमे ब्रिटेन में विचाराधीन है। 2018 के चुनाव का एमक्यूएम ने बहिष्कार किया था।"

जर्मनी में इमामों को विदेशी प्रभाव से मुक्त करने का अभियान

सहाफत (19 नवम्बर) के अनुसार "जर्मनी की सरकार ने यह फैसला किया है कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं को विदेशी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए उनके प्रशिक्षण की देशी व्यवस्था की जाए। ज्ञातव्य है कि जर्मनी में कई लाख मुसलमान हैं और वहां की सरकार उनमें बढ़ते हुए अतिवाद की प्रवृत्ति को रोकने पर विचार कर रही है। सरकार का कहना है कि इमामों को विदेशों में प्रशिक्षण दिए जाने के कारण उनमें अतिवाद और कट्टरता को बढ़ावा मिलता है। इसलिए जर्मनी सरकार ने एक संगठन स्थापित किया है जो जर्मनी की मस्जिदों के इमामों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाएगा। जर्मनी की कुल जनसंख्या 8 करोड़ 30 लाख है। जिनमें 45 लाख मुसलमान हैं। इनमें से 30 लाख का सम्बन्ध तुर्की से है। इसलिए वहां के इमामों के प्रशिक्षण पर तुर्की का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है।"

"जर्मनी में मुसलमानों का एक अलग संगठन है जिससे 900 से अधिक मस्जिदें सम्बन्धित हैं। इन मस्जिदों के इमामों का प्रशिक्षण तुर्की में दिया जाता है और उन्हें वहीं से वेतन भी मिलता है। इसलिए इन इमामों को जर्मनी की संस्कृति और वहां की समस्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जर्मनी के अधिकांश मुसलमान विदेशी मूल के होते हैं इसलिए वे विदेशों से संचालित होते हैं। जर्मनी में सेकुलर शासन व्यवस्था है इसलिए वहां की सरकार किसी भी सम्प्रदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। मगर हाल ही में यूरोप में जो इस्लामिक आतंकवाद बढ़ा है उसको देखते हुए सरकार का यह प्रयास है कि मुसलमानों को धार्मिक प्रशिक्षण देने के लिए देश में ही ऐसी व्यवस्था की जाए जो विदेशी प्रभाव से मुक्त हो। हाल ही में बर्लिन में इस्लामिक धार्मिक मामलों का एक विशेष संस्थान भी स्थापित किया गया है। अब इस संस्थान में प्रवेश लेने वाले मुसलमानों को इमाम बनने का देशी प्रशिक्षण दिया जाएगा जो विदेशी प्रभाव से पूर्णत: मुक्त होगा।"

पाकिस्तान के पूर्व मंत्री मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार

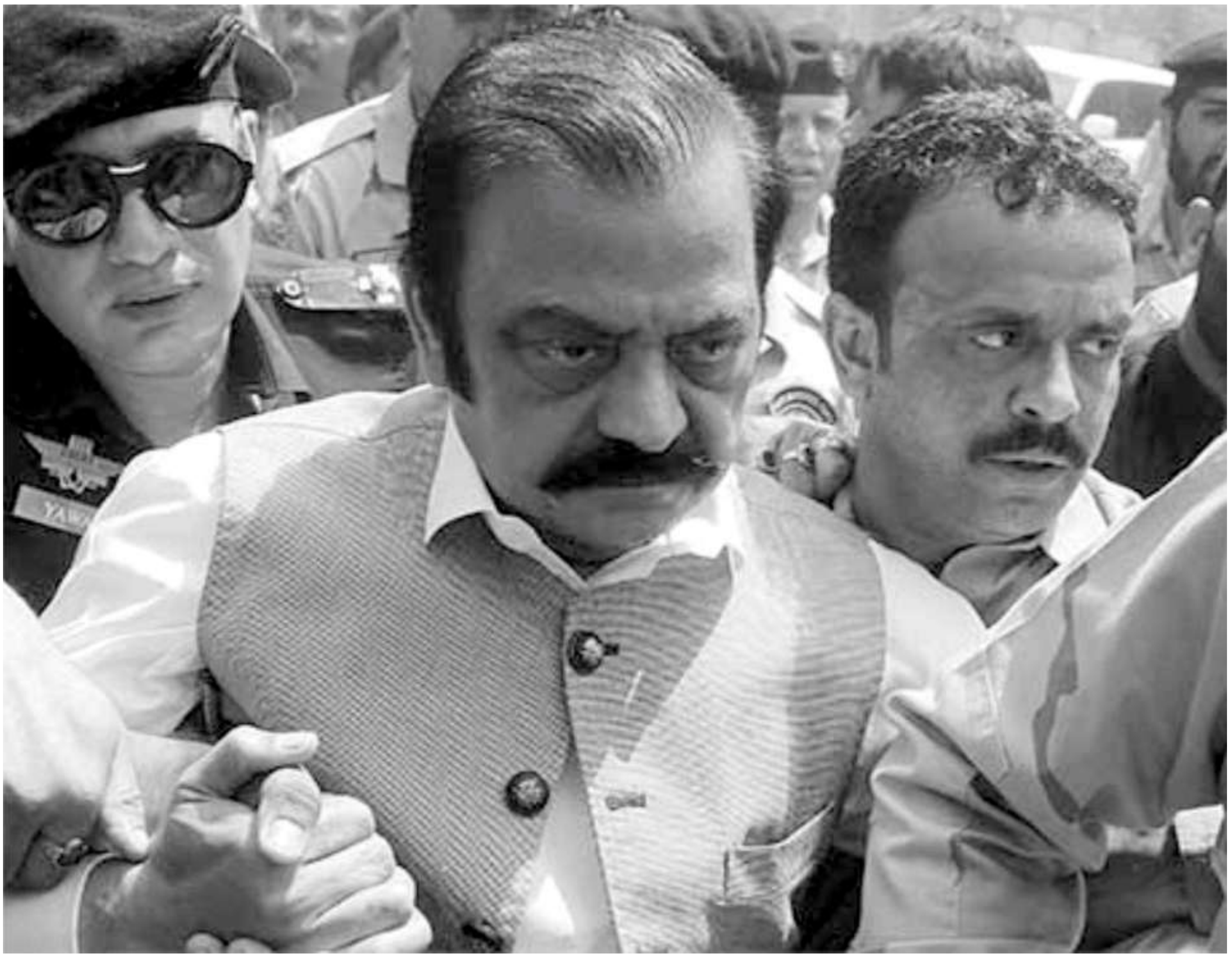

सहाफत (17 नवम्बर) के अनुसार "पाकिस्तान के सांसद और पूर्व मंत्री राणा सनाउल्लाह को 15 किलो मादक पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सांसद का सम्बन्ध मुस्लिम लीग (नवाज) से है। उन्हें मादक पदार्थ निरोधक न्यायालय के सामने पेश किया गया। वकील ने बताया कि पंजाब के पूर्व कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह को हालांकि चार महीने पूर्व गिरफ्तार किया गया था मगर अभी तक उनके खिलाफ न्यायालय में सुनवाई शुरू नहीं की गई। बीबीसी के अनुसार यह राजनीतिक द्वेष से प्रेरित मुकदमा है। अभी तक जो सबूत पेश किए गए हैं उनमें वजन नहीं है इसलिए और सबूत शीघ्र ही न्यायालय में पेश किए जाएंगे। राणा के वकील ने दावा किया इस मामले में जानबूझकर देरी की जा रही है।"

"सनाउल्लाह को एक टोल प्लाजा पर हिरासत में लेने का दावा किया गया था। हालांकि एक अन्य वीडियो के अनुसार उनकी यही कार पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में मौजूद थी। इस आधार पर राणा की जमानत की जो याचिका उनके वकीलों ने न्यायालय में दायर की थी उसे खारिज कर दिया गया। वकील ने दावा किया कि अब तक इस मामले में पांच जजों को बदला जा चुका है। इससे साफ है कि सरकार जानबूझकर इस मामले में देरी कर रही है क्योंकि वह पूर्व मंत्री को किसी न किसी बहाने से जेल में रखना चाहती है।" ■

पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों को आर्थिक सहायता की जांच

हमारा समाज (20 नवम्बर) के अनुसार "पाकिस्तान के फिनांशियल मॉनिटरिंग यूनिट के महानिदेशक मंसूर सिद्दीकी ने बताया कि विशेष एक्शन टास्क फोर्स इस बात की जांच कर रही है कि पाकिस्तान के 140 गैर-सरकारी संगठनों की ओर से आतंकवादी संगठनों को कितनी धनराशि दी गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक की जानकारी के अनुसार 40 संगठनों का पता चला है जो कि पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 68 हजार समाज कल्याण के संगठन पंजीकृत हैं। इनमें से 30 हजार संगठनों का पंजीकरण रद्द किया जा चुका है। क्योंकि वे सक्रिय नहीं थे। सरकार ने जिन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है वे अब फंड जमा नहीं कर सकेंगे। उन्होंने यह स्वीकार किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देश के बावजूद पाकिस्तान अभी तक आतंकवादी संगठनों को आर्थिक सहायता को रोक नहीं पाया है इसलिए उसे ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देने के आरोप में 41 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे 73 करोड़ रुपया जुर्माना वसूल किया गया है।"

रोहिंग्या मुसलमानों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में याचिका दायर

सियासत (13 नवम्बर) के अनुसार "एक अफ्रीकी देश गाम्बिया ने रोहिंग्या मुसलमानों के वंशान्मुलन के बारे में म्यांमार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायालय में कानूनी कार्रवाई करने के लिए याचिका दायर की है। संवाद समिति के अनुसार गाम्बिया सरकार का कहना है कि उसने यह मुकदमा 57 इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी की ओर से दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र संघ के वंशान्मुलन विरोधी निर्णय का उल्लंघन करते हुए मुस्लिम अल्पसंख्यक रोहिंग्यों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की। गाम्बिया के वकीलों का कहना है कि इस याचिका पर अगले महीने विचार होगा। मानवाधिकार संगठन ने इस याचिका का समर्थन करते हुए कहा है कि यह म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या के सिलसिले में पहली कानूनी कार्रवाई है।"

"कानूनी विशेषज्ञ परमप्रीत सिंह का कहना है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ चल रहे अभियान को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निर्देश दे सकती है। गाम्बिया सरकार के सूत्रों ने न्यायालय से मांग की है कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए और रोहिंग्या मुसलमानों के वापसी की व्यवस्था की जाए। ज्ञातव्य है कि 2017 में म्यांमार के राज्य रखाईन में सेना और अतिवादियों की ओर से मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाया गया था जिसके बाद रोहिंग्या बांग्लादेश में शरण लेने पर मजबूर हुए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे वंशान्मुलन की संज्ञा दी थी और म्यांमार सरकार को यह निर्देश दिया था कि दोषी सैनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।"

नवाज शरीफ इलाज हेतु विदेश रवाना

सहाफत (20 नवम्बर) के अनुसार "पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता मियां नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए हैं। न्यायालय के निर्देश के बाद सरकार ने उन्हें चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी है और इसके बदले में उन्हें सात अरब रुपए की जमानती बॉन्ड जमा करवाने पड़े हैं। ज्ञातव्य है कि भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री जेल में हैं। नवाज शरीफ के साथ एयर एंबुलेंस में पांच लोग गए हैं जिनमें उनके भाई शहबाज शरीफ, डॉ. अदनान, आबिद उल्लाह जान और मोहम्मद इरफान शामिल हैं। हवाई अड्डे पर उन्हें विदा करने के लिए उनके काफी समर्थक मौजूद थे। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय के अनुसार उन्हें केवल एक बार इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी गई है मगर उनका नाम उन लोगों की सूची में रहेगा जिन्हें देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। पिछले एक महीने से नवाज शरीफ अस्पताल में थे और उनकी स्थिति गम्भीर बताई जाती है। नवाज शरीफ के भाई ने इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति उच्च न्यायालय से मांगी थी। उन्होंने दो-दो करोड़ के दो जमानती मुचलके भी दिए हैं। उनके वकीलों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार जानबूझकर उनके विदेश जाने में अड़चनें डाल रही थी।"

ईरान के राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह

अखबार-ए-मशरिक (19 नवम्बर) के अनुसार "ईरानी संसद के साठ सदस्यों ने राष्ट्रपति हसन रूहानी से त्यागपत्र देने की मांग की है। ईरान में जनप्रदर्शन दिन-ब-दिन गम्भीर रूप ले रहा है। अब तक इन प्रदर्शनों में 36 लोग मारे जा चुके हैं और 1000 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सांसदों का कहना है कि राष्ट्रपति देश का शासन चलाने में विफल रहे हैं। इसलिए उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। दूसरी ओर राष्ट्रपति ने कहा है कि हालांकि जनता को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का अधिकार है मगर यह प्रदर्शन जिस तरह से दंगों का रूप ले रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि अगर हम पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि नहीं करते तो दो वर्षों के भीतर हमें विदेशों से पेट्रोलेयिम का आयात करना पड़ता। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमैनी ने भी पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि का स्वागत किया है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने यह दावा किया है कि सरकार को खमैनी का पूरा समर्थन प्राप्त है।"

"एक अन्य समाचार के अनुसार ईरान में तेल के मूल्य में 50 प्रतिशत वृद्धि की गई है। प्रदर्शनकारी इस सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देश भर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। कुछ समय से अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। उसका आरोप है कि ईरान परमाणु ऊर्जा को विकसित कर रहा है। ईरान में पेट्रोल की कीमत पन्द्रह हजार रियाल प्रति लीटर कर दी गई है। सरकार का यह दावा है कि अमेरिका की तुलना में ईरान में पेट्रोल पांच गुणा सस्ता है। ईरान के पूर्व सम्राट शाहजादा रजा पहलवी ने एक बयान में ईरान में हो रहे प्रदर्शनों का समर्थन किया है। ईरान के पूर्व शासक कई वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं।" ■

कुवैत के राजपरिवार में मतभेद

सहाफत (20 नवम्बर) के अनुसार "कुवैत के शासक परिवार में जबर्दस्त मतभेद पैदा होने के कारण प्रधानमंत्री शेख जबर अल मुबारक ने पुनः प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया है। उन्हें कुवैत के शासक नब्बे वर्षीय शेख जबर अल-अहमद अल-सबा ने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करने का निर्देश दिया था और उन्हें नई सरकार का प्रमुख भी मनोनीत किया था। ताजा रिपोर्ट के अनुसार कुवैत के प्रधानमंत्री शेख जबर अल मुबारक, जो कि 2011 से प्रधानमंत्री थे ने अचानक अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। इसके बाद कुवैत के शासक ने अपने बेटे और रक्षा मंत्री शेख नासिर सबा अल-अहमद और गृहमंत्री शेख खालिद अल-जर्राह अल-सबा को अंतरिम सरकार में उनके पदों से बर्खास्त कर दिया है। इसके बाद उन्होंने शेख जबर को पुनः कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। मगर उन्होंने इस पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।"

"बताया जाता है कि तेल से अमीर इस खाड़ी देश में शासक परिवार में सत्ता के लिए रस्साकशी शुरू हो गई है। संसद में गृहमंत्री और रक्षा मंत्री पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाए गए थे। अब शासक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा। मगर आर्थिक नीति और विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि इसका कार्यभार अमीर स्वयं देखते हैं। खाड़ी देशों में कुवैत को सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक माना जाता है क्योंकि वहां की संसद न केवल कानून बना सकती है बल्कि मंत्रियों से उत्तर भी मांग सकती है। देश में अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं।" ■

सऊदी अरब में संगीत कार्यक्रम के आयोजकों पर हमला

सियासत (13 नवम्बर) के अनुसार "सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक संगीत कार्यक्रम में एक यमनी व्यक्ति ने कार्यक्रम पेश करने वालों पर चाकू से हमला करके उन्हें घायल कर दिया। आक्रमणकारी का कहना था कि संगीत का कार्यक्रम पेश करना इस्लाम के खिलाफ है। ज्ञातव्य है कि हाल ही में सऊदी अरब में संगीत से सम्बन्धित कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से पेश करने की अनुमति दी गई है। इसके बाद एक विदेशी थियेटर रियाद के किंग अब्दुल्ला पार्क में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा था कि अचानक एक व्यक्ति ने चाकू से हमला करके कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले दो पुरुष और एक महिला को घायल कर दिया। हमला करने वाले व्यक्ति की आयु 33 वर्ष बताई जाती है। सऊदी सरकार ने हाल ही में यह निर्णय किया है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक रूप से विदेशी संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा।" ■

कानूनी विवादों में गद्दाफी का बेटा

सियासत (13 नवम्बर) के अनुसार "लीबिया के पूर्व तानाशाह स्वर्गीय मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफुल इस्लाम गद्दाफी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हवाले करने के प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और लीबिया सरकार के बीच कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया है। लीबिया के मानवाधिकार संगठनों की ओर से यह आशा व्यक्त की जा रही थी कि हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शीघ्र ही गद्दाफी के खिलाफ अपने निर्णय की घोषणा करेगी। सैफ गद्दाफी पर अपने पिता के शासनकाल के दौरान अपने विरोधियों को कुचलने के लिए अनेक लोगों की हत्या और मानवाधिकारों का हनन का आरोप है। इसलिए अंतराष्ट्रीय न्यायालय ने उसे इश्तिहारी मुजरिम घोषित कर रखा है। लीबिया सरकार ने घोषणा की है कि वह आरोपी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हवाले नहीं करेगी और न ही उसे लीबिया से बाहर भेजेगी।"

"लीबिया की सरकार ने कहा है कि लीबिया में न्यायपालिका सशक्त है और वह किसी भी अपने नागरिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। सैफुल इस्लाम के वकीलों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक याचिका दायर करके न्यायालय से अनुरोध किया है कि सैफुल का इश्तिहारी मुजरिम के लिए जारी वारंट रद्द किया जाए और उसके खिलाफ विचाराधीन मुकदमा वापस लिया जाए। दूसरी ओर न्यायालय सैफुल के खिलाफ उसकी गैरहाजिरी में आरोपों की सुनवाई कर चुकी है और वह शीघ्र ही फैसला सुनाने वाली है। लीबिया के न्याय मंत्रालय का कहना है कि उसके किसी भी नागरिक के खिलाफ देश के ही न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लीबिया पर इस बात के लिए दबाव डाल रहा है कि वह आरोपी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हवाले करे।" ■

यमन के विद्रोहियों की बड़ी कार्रवाई

इंकलाब (20 नवम्बर) के अनुसार "हूती विद्रोहियों ने यह घोषणा की है कि उन्होंने तीन जलयानों पर कब्जा कर लिया है जिनमें एक सऊदी अरब का और दो दक्षिण कोरिया के हैं। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने भी इस समाचार की पुष्टि की है। इन जलयानों में कुल सोलह व्यक्ति सवार थे जिनमें से दो दक्षिण कोरिया के नागरिक हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि सऊदी अरब के जिस जलयान पर विद्रोहियों ने कब्जा किया है उसमें कम-से-कम दस सऊदी नागरिक हैं। विद्रोहियों के प्रमुख कमांडर मोहम्मद अली अल-हूती ने बताया कि उनके लड़ाकुओं ने लाल सागर में तीन समुद्री जहाजों को कब्जे में लिया था। उन्होंने कहा कि अगर इनमें से कोई भी समुद्री जहाज दक्षिण कोरिया के हैं तो उन्हें उसके कर्मचारियों सहित शीघ्र ही रिहा कर दिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि कुछ महीने पूर्व सऊदी अरब के दो बड़े तेल सप्लाई के अड्डों पर विद्रोहियों के हमलों के बाद अमेरिका ने सऊदी अरब में अपनी सेना भेजी हुई है। हूती विद्रोहियों, जिनका सम्बन्ध ईरान से बताया जाता है, ने 2015 में यमन की सरकार का तख्ता पलट दिया था। इन विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब ने अपने सहयोगी देशों की सहायता ली है।"

माली में उग्रवादियों के हमले में 24 फौजियों की हत्या

इंकलाब (20 नवम्बर) के अनुसार "अफ्रीकी देश माली में उग्रवादियों ने सैनिक ठिकानों पर हमला करके चौबीस फौजियों की हत्या कर दी और 27 घायल हो गए। समाचारों के अनुसार माली और नाइजर की सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादियों के खिलाफ सैनिक अभियान चला रही है। माली सरकार ने इस घटना का विवरण हालांकि जारी नहीं किया फिर भी यह सम्भावना व्यक्त की जा रही है कि सैनिकों की हत्या उग्रवादी इस्लामिक संगठन इस्लामिक स्टेट ने की है। माली सरकार के एक प्रवक्ता ने यह स्वीकार किया है कि उनके देश में इस्लामिक स्टेट के जिहादियों की गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है और नाइजर की सीमा पर 17 जिहादियों की हत्या कर दी गई है। जबकि 100 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्ञातव्य है कि इस महीने अब तक इस क्षेत्र में 53 सैनिक मारे जा चुके हैं। इससे पूर्व 2012 में माली में अलकायदा ने काफी बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। फ्रांस की सेना ने अलकायदा के सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई करके काफी बड़े क्षेत्र को उनके नियंत्रण से मुक्त कराया था मगर बाद में इस्लामिक स्टेट के जिहादियों ने पुन: इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जिहादियों के खिलाफ पांच देशों की सेना संयुक्त रूप से अभियान चला रही है।"

मस्जिद में धमाके के आरोपी गिरफ्तार

सहाफत (16 नवम्बर) ने अपने मुख्य समाचार के रूप में एक समाचार प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि कुशीनगर बम धमाके के मास्टर माइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचारपत्र के अनुसार इस धमाके के 66 घंटे के बाद हाजी कुतुबुद्दीन और उसके पोते अशफाक को इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया है। हाजी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह नेपाल भागने का प्रयास कर रहा था। आरोपी उत्तर प्रदेश के मऊ का रहने वाला था और वह सरकारी कर्मचारी है। उसके पोते को हैदराबाद से पकड़ा गया जो कि सेना में था। 2017 में उसने रिटायरमेंट ली थी। पुलिस ने यह स्वीकार किया है कि अप्रैल महीने में दस किलोग्राम बारूद मस्जिद में रखा गया था जिसमें 11 नवम्बर को धमाका हुआ था। इस धमाके में एक व्यक्ति घायल हो गया था। पुलिस ने इस संदर्भ में पहले ही इमाम मौलाना अजमुद्दीन, अजहर अंसारी, आशिक अंसारी और जावेद को पकड़ चुकी है। इनसे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के बाद ही हाजी कुतुबुद्दीन और उसके पोते को पकड़ा गया है। पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल प्रवीण कुमार ने कहा कि अब तक इस संदर्भ में छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिनमें तीन अल्पव्यस्क हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। समाचारपत्र ने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि पुलिस ने इस मामले को प्रारम्भ में दबाने का प्रयास किया था और यह दावा किया था कि यह धमाका बारूद से नहीं हुआ बल्कि बैटरी फट जाने से हुआ है।"

वक्फ की 18 हजार संपत्तियों पर अवैध कब्जा

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (18 नवम्बर) के अनुसार "केन्द्रीय वक्फ काउंसिल ने सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी दी है कि देश में 18 हजार से अधिक वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। और इनमें से 1300 से अधिक सम्पत्तियों पर सरकारी विभागों ने कब्जा कर रखा है। 16921 संपत्तियों पर निजी लोगों का कब्जा है। पंजाब में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं जिनकी संख्या 5610 है। जबकि मध्य प्रदेश में 3882, पश्चिम बंगाल में 3882, तमिलनाडु में 1335 और देश की राजधानी दिल्ली में 371 वक्फ संपत्तियों पर निजी लोगों का कब्जा है। वक्फ काउंसिल ने यह स्वीकार किया कि 2013 में जो कानून पास किया गया है उसके बाद इन वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त करने का निरंतर अभियान चल रहा है। इनके मुकदमों का शीघ्र निपटारा करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश ज़कीउल्लाह की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की एक कमेटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। आशा है कि इस रिपोर्ट के लागू होने के बाद अवैध कब्जों की संभावना कम हो जाएगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 31 अक्टूबर 2018 तक देश में पांच लाख 74 हजार 491 पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं। इनसे सम्बन्धित 24906 मुकदमें विचाराधीन हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इन मुकदमो के शीघ्र निपटारे के लिए एक कमेटी भी बनाई है।"

मस्जिद के लिए जमीन की तलाश

सियासत (13 नवम्बर) के अनुसार "राम मंदिर के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद सरकार ने अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए भूमि की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मस्जिद के लिए जमीन अयोध्या की चौदह कोसी परिक्रमा से बाहर तलाश की जा रही है। यह जमीन सदर तहसील के तहत शहनवा ग्राम सभा, सोहावल तथा बाकीपुर आदि गांवों में तलाश की जा रही है। शहनवा में मीर कासिम का मकबरा होने का दावा भी किया जाता है। इसी गांव का वासी राजा बली और उसका बेटा मोहम्मद असगर बाबरी मस्जिद का मतवली (प्रबंधक) था। इस परिवार को ब्रिटिश सरकार की ओर से 302 रुपए की धनराशि मस्जिद की देखभाल के लिए दी जाती थी। इस मतवली के परिवारजन अब भी गांव में रह रहे हैं। इन लोगों ने 1990 में यह प्रस्ताव किया था कि अगर उन्हें वैकल्पिक जमीन दी जाती है तो वे बाबरी मस्जिद को विश्व हिन्दू परिषद के हवाले करने को तैयार हैं। मगर बाद में अन्य मुस्लिम पक्षकारों ने किसी अन्य वैकल्पिक भूमि को लेने से इनकार कर दिया था।"

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जान का खतरा

अखबार-ए-मशरिक (19 नवम्बर) के अनुसार "न्यूज एजेंसी एएनआई ने यह दावा किया है कि राम जन्मभूमि मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उस बेंच में शामिल एक मात्र मुस्लिम न्यायाधीश जस्टिस अब्दुल नजीर और उनके परिवारजनों को एक अतिवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट से जान का खतरा है। इस रिपोर्ट के बाद न्यायाधीश और उनके परिवार के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दूसरी ओर पॉपुलर फ्रंट के महासचिव एम. मोहम्मद अली जिन्ना ने एक वक्तव्य में इस आरोप का खंडन किया है और कहा है कि इस एजेंसी ने उक्त समाचार देने से पूर्व हमसे सम्पर्क नहीं किया है। हमने इस संदर्भ में सम्बन्धित एजेंसी से स्वयं सम्पर्क किया था मगर उन्होंने अपने समाचार में कोई संशोधन नहीं किया है। उन्होंने मांग की है कि इस आरोप को फौरन वापस लिया जाए और संवाद समिति बिना शर्त माफी मांगे। नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी।"

तीन तलाक का मुकदमा

अखबार-ए-मशरिक (19 नवम्बर) के अनुसार "देवबंद की एक महिला ने अपने पति के खिलाफ तीन तलाक के मामले में पुलिस में रपट दर्ज करवाई है। महल्ला सराय की एक महिला ने पुलिस को सूचित किया है कि पांच वर्ष पूर्व उसका निकाह हुआ था। शादी के बाद उसे पता चला कि उसका पति नशेड़ी है और वह उससे मारपीट करता है। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। इस महिला ने अपने दो बच्चों के साथ थाने में धरना दे रखा है।"

विश्लेषण हेतु उर्दू समाचार-पत्रों की सूची

1. दावत, दिल्ली
2. दैनिक इंकलाब, दिल्ली
3. अखबार-ए-मशरिक, दिल्ली
4. दैनिक सहाफत, दिल्ली
5. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली
6. हिंदुस्तान एक्सप्रेस, दिल्ली
7. हिंद समाचार, जालंधर
8. दैनिक प्रताप, जालंधर
9. दैनिक मुंसिफ, हैदराबाद
10. दैनिक सियासत, हैदराबाद
11. दैनिक हमारा समाज, दिल्ली
12. आल्मी सहारा, दिल्ली
13. औरंगाबाद टाइम्स, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
14. जदीद मरकज़, लखनऊ
15. साप्ताहिक नई दुनिया, दिल्ली
16. दैनिक इत्तेमाद, हैदराबाद
17. जदीद मेल, दिल्ली
18. सियासी तकदीर, दिल्ली
19. उर्दू, एक्शन, भोपाल
20. साप्ताहिक चौथी दुनिया, दिल्ली
21. साप्ताहिक अखबार नव, दिल्ली
22. दैनिक मिलाप, दिल्ली
23. कौमी तंजीम, पटना
24. दैनिक जदीद ख़बर, दिल्ली

आप अपनी राय, जानकारियां, उर्दू पत्रों से समाचार प्रतिष्ठान को भेजें। संपादक मंडल उसे अगले अंकों में संपादकीय नीति के तहत स्थान देने का प्रयास करेगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

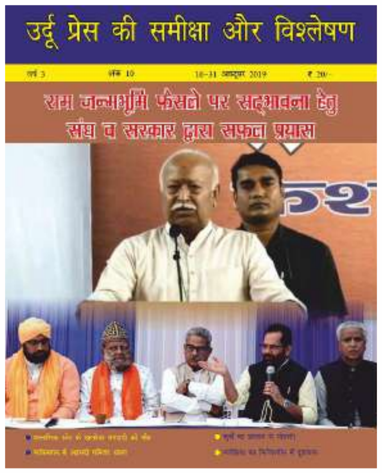

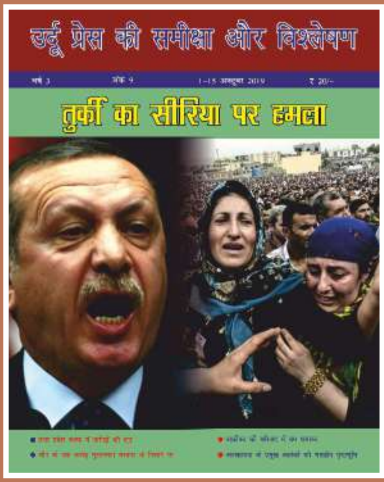

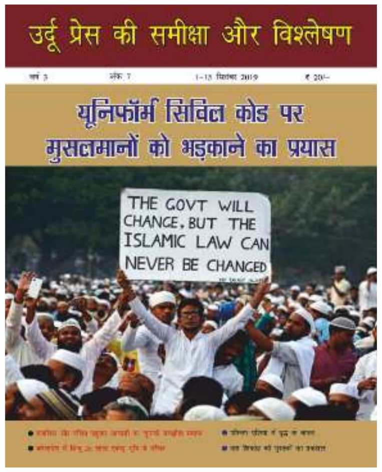

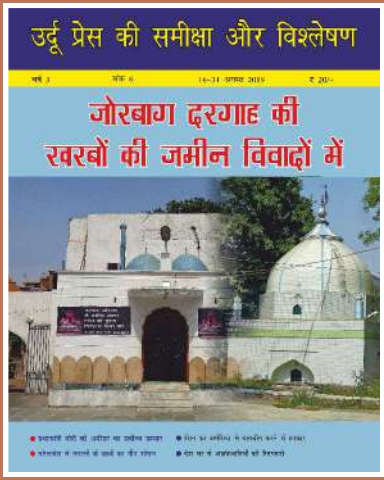

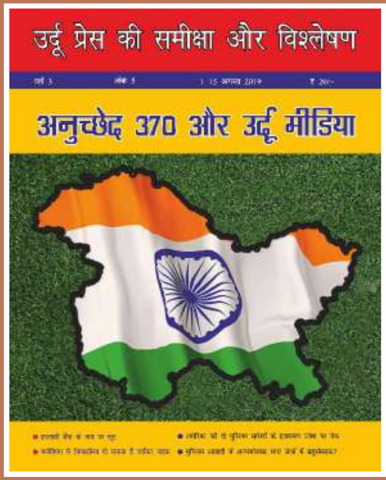

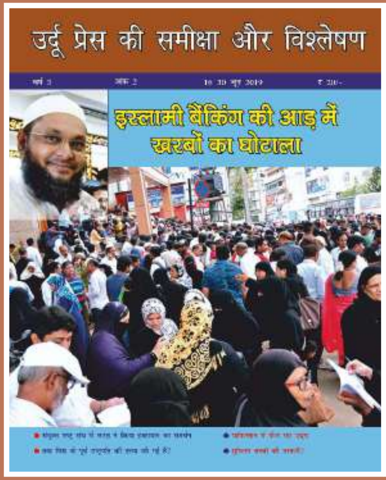

ipf INDIA POLICY FOUNDATION
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

भारत नीति प्रतिष्ठान

India Policy Foundation

डी–51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26524018 • फैक्स : 011–46089365
ईमेलः info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com, वेबसाइटः www.ipf.org.in